

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में

जिला पदाधिकारी,

पटना/भोजपुर/बक्सर/वैशाली/सारण/समस्तीपुर/बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/मुंगेर/
भागलपुर/कटिहार/पूर्णिया/सुपौल/मधेपुरा/सहरसा/मधुबनी/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/
शिवहर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/गोपालगंज/सीवान/किशनगंज/अररिया/शेखपुरा/
नालंदा।

पटना-15, दि0-

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड-39- 2245808000102, विस्तृत शीर्ष- 20-अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष - 03- प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत ₹64.414 लाख (चौसठ लाख इकतालीस हजार चार सौ रुपये) आवंटन की स्वीकृति ।

आदेश -स्वीकृत ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-116/आ0प्र0 दिनांक -25.05.17 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से आवंटित की जा रही है ।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष -2017-18 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड -39-2245808000102, मांग सं0-39, विस्तृत शीर्ष-20-अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष - 03- प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी उपमुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उपशीर्षवार निम्नप्रकार है:-

उप मुख्य शीर्ष -80-सामान्य

लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय

उपशीर्ष -0102

मांग सं0-39,

विस्तृत शीर्ष-20-अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष - 03- प्रशिक्षण व्यय

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	प्रशिक्षण बैच की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि (प्रति बैच रू0 21400 की दर से)	योग
1	पटना	16	0.00 (शून्य)	3.424 (तीन लाख बेयालीस हजार चार सौ)	3.424 (तीन लाख बेयालीस हजार चार सौ)
2	भोजपुर	8	0.00 (शून्य)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)
3	बक्सर	8	0.00 (शून्य)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)

क्र०	विवरण का नाम	प्रतिक्षेप क्षेत्र की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि (प्रति क्षेत्र रु० 21400 की दर से)
4	बैथली	11	0.00	2.354
5	सारण	8	0.00	1.712
6	समस्तीपुर	11	0.00	2.354
7	बेगूसराय	11	0.00	2.354
8	खगड़िया	15	0.00	3.21
9	नरसिंहराव	8	0.00	1.712
10	मुंगेर	8	0.00	1.712
11	भागलपुर	11	0.00	2.354
12	कटिहार	11	0.00	2.354
13	पूर्णांचली	8	0.00	1.712
14	सुपौल	14	0.00	2.996
15	मधुपरा	14	0.00	2.996
16	सहरसा	11	0.00	2.354
17	मधेनी	11	0.00	2.354
18	दरभंगा	11	0.00	2.354
19	मुजफ्फरपुर	11	0.00	2.354
20	सीतामढ़ी	11	0.00	2.354
21	बिहार	11	0.00	2.354

क्र०	जिला का नाम	प्रशिक्षण बैच की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि (प्रति बैच रू० 21400 की दर से)	योग
22	पूर्वी चम्पारण	11	0.00 (शून्य)	2.354 (दो लाख पैतीस हजार चार सौ)	2.354 (दो लाख पैतीस हजार चार सौ)
23	पश्चिम चम्पारण	8	0.00 (शून्य)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)
24	गोपालगंज	14	0.00 (शून्य)	2.996 (दो लाख निन्यानवे हजार छः सौ)	2.996 (दो लाख निन्यानवे हजार छः सौ)
25	सीवान	8	0.00 (शून्य)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)
26	किशनगंज	8	0.00 (शून्य)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)
27	अररिया	8	0.00 (शून्य)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)
28	शेखपुरा	8	0.00 (शून्य)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)
29	नालंदा	8	0.00 (शून्य)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)	1.712 (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ)
कुल योग		301	0.00 (शून्य)	64.414 (चौसठ लाख इकतालीस हजार चार सौ)	64.414 (चौसठ लाख इकतालीस हजार चार सौ)


5. यह आवंटन उपर्युक्त जिलों में जिला / प्रखंड स्तर पर नाविकों / नाव मालिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्गत किया जा रहा है। आवंटित राशि से मास्टर ट्रेनर्स पर होने वाले व्यय एवं अन्य अतिरिक्त व्यय (विवरणी संलग्न) की प्रतिपूर्ति की जाय। उक्त जिलों में राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान (NINI), गायघाट, पटना से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिला आपदा प्रबंधन ईकाई एवं संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया जाय।

6. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशोघ्न एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक -2561वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।



10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक -15.03.2018 तक निश्चित रूप से की दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय ।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर " आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय ।

12 इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना , वित्त (बजट) को भी दी जा रही है । इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, आ0प्र0 विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि:- सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-.....108...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव